



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2196]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 8, 2016/भाद्र 17, 1938

No. 2196]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 8, 2016/BHADRA 17, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)  
(कागज अनुभाग)  
आदेश

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2016

का.आ. 2895 (अ).— उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद् द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के दिनांक 19 सितम्बर, 2005 के का. आ. सं. 1371 (अ) में भारत सरकार के आदेश में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः-

उक्त आदेश की अनुसूची में मिल के नाम एवं स्थान से संबंधित पैरा 2 (1) में क्रम सं 77 की प्रविष्टि में "मैसर्स सूर्य चंद्र पेपर मिल्स लिमिटेड" शब्दों के स्थान पर "मैसर्स सूर्य चंद्र पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. 4(3)/ 2005-कागज ]

वंदना कुमार, संयुक्त सचिव

नोट: मूल आदेश भारत के राजपत्र में दिनांक 11 अक्टूबर, 2004 के का.आ. 1105 (अ) के द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसके बाद दिनांक 9 मई, 2016 के का.आ. 1690 (अ) के द्वारा संशोधित किया गया था।

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Industrial Policy & Promotion)****(Paper Section)****O R D E R**

New Delhi, the 5th September, 2016

**S.O. 2895 (E)** .— In exercise of the powers conferred by Section 18 G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry Number S.O. 1371(E) dated the 19<sup>th</sup> September, 2005, namely:-

In the said Order, in the Schedule, in paragraph 2(1) relating to Name of the Mill and Location, in the entry against serial number 77, for the words, “M/s. Surya Chandra Paper Mills Limited,” the words “M/s.Surya Chandra Paper Mills Private Limited,” shall be substituted.

[F.No. 4(3)/2005 - Paper]

VANDANA KUMAR, Jt. Secy.

**Note:** The Principal order was published in the Gazette of India vide No. S.O. 1105(E) dated the 11<sup>th</sup> October, 2004 and subsequently amended vide Order No. S.O. 1690 (E) dated 9<sup>th</sup> May, 2016.